NATIONAL PUBLIC SERVICE TRUST
(Public Welfare • Justice • Development)
(A Social Institution Established under Central Act No. 2 of 1882)
Establishment No. – 212/IV/2026
Office : 670, Model Colony, Ranipur Mod, Haridwar (Uttarakhand) 249407
Email : npst.india@gmail.com

पत्रांक सं० – NPST/106/2026 दिनांक – 04.08.2026

सेवा में,

1. **श्रीमान मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन,**
   सचिवालय, सुभाष रोड, देहरादून – 248001
   ईमेल – abardhan@ias.nic.in
2. **श्रीमान प्रमुख सचिव, शहरी विकास विभाग,**
   उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, सुभाष रोड, देहरादून – 248001
   ईमेल – secy.nkjha@gmail.com
3. **श्रीमान प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग,**
   उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, सुभाष रोड, देहरादून – 248001
   ईमेल – sudhansh@ias.nic.in
4. **श्रीमान अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,**
   गौरा देवी पर्यावरण भवन, 46–बी, आई.टी. पार्क,
   सहस्त्रधारा रोड, देहरादून – 248001
   ईमेल – msukpcb@yahoo.com
5. **श्रीमान महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG),**
   जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, प्रथम तल, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम,
   इंडिया गेट के समीप, नई दिल्ली – 110002
   ईमेल – dg@nmcg.nic.in
6. **श्रीमान जिलाधिकारी, देहरादून,**
   कलेक्ट्रेट परिसर, देहरादून – 248001
   ईमेल – dm-deh-ua@nic.in
7. **श्रीमान नगर आयुक्त, नगर निगम ऋषिकेश,**
   रेलवे रोड, ऋषिकेश, जनपद देहरादून – 249201
   ईमेल – npprishikesh@gmail.com

NATIONAL PUBLIC SERVICE TRUST
04/08/26

8. श्रीमान जिलाधिकारी, हरिद्वार
रोशनाबाद, हरिद्वार – 249403
ईमेल – dm-har-ua@nic.in
9. श्रीमान नगर आयुक्त,
नगर निगम हरिद्वार – 249201
ईमेल – nagarnigamharidwar@gmail.com

<u>विषय</u> : ऋषिकेश स्थित गंगा नदी के निकट संचालित विशाल कूड़ा डम्पिंग जोन, ऋषिकेश एवं हरिद्वार गंगा तटीय क्षेत्र में हो रहे होटल एवं व्यावसायिक निर्माण, हरिद्वार के चिन्मयी डिग्री कॉलेज, शिवालिक नगर एवं ग्राम–सराय/इक्कड रोड स्थित कूड़ा डम्पिंग जोनों, कलियर गंगा क्षेत्र में संदिग्ध अवैध खनन तथा गंगा प्रदूषण के संबंध में उच्चस्तरीय संयुक्त जांच, उत्तरदायित्व निर्धारण एवं वैधानिक कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

नेशनल पब्लिक सर्विस ट्रस्ट संविधान के मूल्यों, पर्यावरण संरक्षण, जनस्वास्थ्य, सुशासन तथा प्रशासनिक जवाबदेही के उद्देश्यों के लिए कार्यरत एक जनहितकारी सार्वजनिक संस्थान है। संस्थान समय–समय पर सार्वजनिक महत्व के विषयों पर स्थलीय निरीक्षण कर तथ्यात्मक रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करता रहा है, जिससे पर्यावरण, सार्वजनिक संसाधनों एवं नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

दिनांक 28/07/2026 को संस्थान के संज्ञान में सोशल मीडिया एवं स्थानीय नागरिकों के माध्यम से यह अत्यन्त गंभीर सूचना आई कि नगर निगम ऋषिकेश द्वारा नगर क्षेत्र से एकत्रित सम्पूर्ण ठोस अपशिष्ट को गोविन्द नगर, वार्ड–17 स्थित गंगा नदी के अत्यन्त निकट एक विशाल कूडा डम्पिंग जोन में वर्षों से डाला जा रहा है। उक्त विषय की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 29/07/2026 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त स्थल का विस्तृत स्थलीय निरीक्षण किया गया।

स्थलीय निरीक्षण से प्रथम दृष्टया यह तथ्य प्रकाश में आया कि जनपद देहरादून के अंतर्गत गोविन्द नगर, वार्ड–17, ऋषिकेश में गंगा नदी के अत्यन्त निकट विगत लगभग 22 वर्षों से एक विशाल कूड़ा डम्पिंग जोन संचालित किया जा रहा है, जहां नगर निगम ऋषिकेश द्वारा नगर क्षेत्र से एकत्रित ठोस अपशिष्ट का निरन्तर निस्तारण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान विशाल मात्रा में मिश्रित ठोस अपशिष्ट के खुले ढेर, लीचेट का रिसाव, दुर्गन्ध, प्रदूषित वातावरण तथा डम्पिंग गतिविधियां प्रत्यक्ष रूप से पाई गईं। स्थानीय

NATIONAL PUBLIC SERVICE TRUST

नागरिकों द्वारा यह भी बताया गया कि उक्त डम्पिंग जोन लगभग 22 वर्षों से संचालित है तथा इसके विरुद्ध अनेक शिकायतों एवं विरोध प्रदर्शनों के बावजूद कोई प्रभावी समाधान नहीं किया गया। स्थानीय निवासियों द्वारा यह अत्यन्त गंभीर आरोप भी लगाया गया कि इस डम्पिंग जोन से उत्पन्न प्रदूषण एवं दूषित वातावरण के कारण अनेक लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा लगभग 23 व्यक्तियों की मृत्यु तक होने का दावा किया गया है, जिसकी स्वतंत्र जांच अत्यावश्यक है।

निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि उक्त डम्पिंग स्थल गंगा नदी से लगभग 80 मीटर की दूरी पर स्थित है। साथ ही डम्पिंग स्थल एवं गंगा नदी के अत्यन्त निकट, लगभग 50 मीटर के दायरे में अनेक होटल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं अन्य वाणिज्यिक निर्माण कार्य संचालित अथवा निर्माणाधीन पाए गए। यह जांच का अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है कि ऐसे संवेदनशील गंगा तटीय क्षेत्र में इन निर्माणों को किस वैधानिक अनुमति, पर्यावरणीय स्वीकृति एवं निर्माण मानकों के आधार पर अनुमति प्रदान की गई तथा क्या इन निर्माणों में नदी संरक्षण, बाढ़ क्षेत्र तथा पर्यावरणीय मानकों का पालन किया गया है अथवा नहीं। यदि आवश्यक स्वीकृतियों के बिना अथवा पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन में निर्माण किया गया है तो संबंधित अधिकारियों एवं निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही अपेक्षित है।

दिनांक 04/08/2026 को संस्थान द्वारा चिन्मयी डिग्री कॉलेज, शिवालिक नगर, हरिद्वार एवं ज्वालापुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम–इक्कड रोड स्थित डम्पिंग जोनों का भी स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि नगर निगम हरिद्वार द्वारा नगर का ठोस अपशिष्ट घनी आबादी एवं शिक्षण संस्थान के अत्यन्त निकट डाला जा रहा है। निरीक्षण के दौरान यह भी देखा गया कि ग्राम–इक्कड रोड स्थित डम्पिंग जोन से निकलने वाला काला एवं अत्यधिक प्रदूषित प्रतीत होने वाला तरल पदार्थ (लीचेट/अपशिष्ट मिश्रित जल) सार्वजनिक सड़क के किनारे खुले रूप में बह रहा था तथा सड़क के किनारे बड़े–बड़े गड्ढों एवं जलभराव में एकत्रित था। इन स्थानों पर कूड़ा, दुर्गन्ध एवं अत्यन्त अस्वास्थ्यकर परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिससे स्थानीय नागरिकों, विद्यार्थियों एवं राहगीरों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की गंभीर संभावना है। निरीक्षण के दौरान इन परिस्थितियों के फोटोग्राफिक साक्ष्य भी संकलित किये गये हैं।

दिनांक 04/08/2026 को प्रकाशित दैनिक अमर उजाला (हरिद्वार) में भी चिन्मयी डिग्री कॉलेज के निकट आवासीय क्षेत्र में नगर निगम द्वारा कूड़ा डम्पिंग किये जाने के विरुद्ध स्थानीय नागरिकों के विरोध, दुर्गन्ध, मच्छरों के बढ़ते प्रकोप, संक्रामक रोगों की आशंका तथा जनस्वास्थ्य पर पड़ रहे गंभीर प्रतिकूल प्रभावों का विस्तृत उल्लेख प्रकाशित हुआ है, जिससे संस्थान के निरीक्षण में पाए गए तथ्यों की पुष्टि होती है।

NATIONAL PUBLIC SERVICE TRUST

04/08/26

निरीक्षण के दौरान यह भी संज्ञान में आया कि हरिद्वार शहर के गंगा घाटों के समीप स्थित विभिन्न आवासीय एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तथा रुड़की के निकट कलियर क्षेत्र में संचालित मांस की दुकानों एवं अन्य प्रतिष्ठानों से निकलने वाले मल, मूल आदि दूषित अपशिष्ट का निस्तारण गंगा नदी में किया जा रहा है, जिसकी स्वतंत्र जांच भी अत्यावश्यक है।

इसके अतिरिक्त निरीक्षण के दौरान यह भी संज्ञान में आया कि रुड़की के निकट कलियर गंगा क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों द्वारा गंगा नदी के समीप संदिग्ध खनन/उत्खनन गतिविधियाँ संचालित किए जाने संबंधी फोटो/वीडियो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अतः इस प्रकरण की भी स्वतंत्र जांच कर यह परीक्षण किया जाए कि उक्त गतिविधियाँ वैधानिक स्वीकृतियों के अनुरूप हैं अथवा नहीं तथा किसी प्रकार की अवैधता पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जाए।

उपरोक्त परिस्थितियाँ प्रथम दृष्टया Solid Waste Management Rules 2016, Environment Protection Act 1986, Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974, Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 तथा संविधान के अनुच्छेद 21, 48A एवं 51-A(g) के गंभीर उल्लंघन की ओर संकेत करती हैं। यह भी जांच किया जाना आवश्यक है कि ऋषिकेश एवं हरिद्वार स्थित सभी डम्पिंग स्थलों के संचालन, गंगा तटीय क्षेत्र में हो रहे निर्माणों तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में सभी आवश्यक पर्यावरणीय एवं वैधानिक स्वीकृतियाँ प्राप्त की गई थीं अथवा नहीं। यदि किसी स्तर पर पर्यावरणीय नियमों, निर्माण मानकों अथवा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर विभागीय, सिविल एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जानी आवश्यक होगी।

अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत नेशनल पब्लिक सर्विस ट्रस्ट जनहित में आपसे निम्नलिखित कार्यवाहियाँ तत्काल सुनिश्चित किये जाने का अनुरोध करता है :—

(1) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता अथवा उनके द्वारा नामित किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में एक उच्चस्तरीय संयुक्त जांच समिति गठित की जाए, जिसमें शहरी विकास विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, IIT रुड़की, संबंधित जिला प्रशासन एवं अन्य आवश्यक विशेषज्ञों को सम्मिलित कर ऋषिकेश डम्पिंग जोन, ऋषिकेश एवं हरिद्वार गंगा तटीय क्षेत्र में हो रहे होटल एवं व्यावसायिक निर्माण, हरिद्वार के ग्राम–सराय/इक्कड रोड डम्पिंग जोनों, हरिद्वार एवं कलियर क्षेत्र में गंगा

NATIONAL PUBLIC SERVICE TRUST

प्रदूषण तथा कलियर गंगा क्षेत्र में संदिग्ध खनन/उत्खनन गतिविधियों की स्वतंत्र, वैज्ञानिक एवं समयबद्ध जांच कर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए।

(2) जांच पूर्ण होने तक एहतियाती उपाय के रूप में ऋषिकेश एवं हरिद्वार स्थित सभी डम्पिंग स्थलों पर नगर के नए ठोस अपशिष्ट के डम्पिंग पर तत्काल रोक लगाई जाए तथा वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही दोनों स्थलों का वैज्ञानिक BIO-MINING, BIO-REMEDIATION, LEGACY WASTE REMEDIATION, SCIENTIFIC CLOSURE एवं ENVIRONMENTAL RESTORATION कर घनी आबादी, शिक्षण संस्थानों एवं गंगा नदी से सुरक्षित दूरी पर आधुनिक एवं विधिसम्मत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाए तथा उक्त डम्पिंग स्थलों से निकल रहे लीचेट/दूषित तरल अपशिष्ट एवं जलभराव का तत्काल उपचार एवं निस्तारण कराया जाए।

(3) IIT रुड़की, CPCB, UKPCB, NMCG अथवा अन्य सक्षम वैज्ञानिक संस्थानों के माध्यम से जनपद–देहरादून एवं जनपद–हरिद्वार स्थित सभी डम्पिंग स्थलों एवं प्रभावित क्षेत्रों का स्वतंत्र वैज्ञानिक अध्ययन कराया जाए, जिसमें वायु गुणवत्ता, भू–जल, सतही जल, मृदा, लीचेट, गंगा जल, स्थानीय पर्यावरण, जनस्वास्थ्य एवं प्रदूषण के प्रभावों का मूल्यांकन किया जाए। साथ ही ऋषिकेश में गंगा नदी के निकट निर्मित अथवा निर्माणाधीन होटल, रिसॉर्ट, व्यावसायिक भवन एवं अन्य निर्माण गतिविधियों की वैधानिकता, पर्यावरणीय स्वीकृतियों एवं निर्माण अनुमतियों की भी जांच कराई जाए।

(4) नगर निगम ऋषिकेश एवं नगर निगम हरिद्वार द्वारा संचालित डम्पिंग सभी स्थलों से संबंधित समस्त पर्यावरणीय स्वीकृतियों, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुपालन, वित्तीय व्यय, अनुबंधों, अभिलेखों एवं निर्णय प्रक्रिया का विशेष तकनीकी एवं प्रशासनिक ऑडिट कराया जाए तथा यदि किसी स्तर पर पर्यावरणीय कानूनों, निर्माण मानकों, गंगा संरक्षण संबंधी प्रावधानों अथवा अन्य वैधानिक नियमों का उल्लंघन, प्रशासनिक लापरवाही अथवा अनियमितता पाई जाए तो संबंधित अधिकारियों, स्थानीय निकायों, ठेकेदारों एवं अन्य उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर विभागीय, सिविल एवं दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(5) इस पत्र के अनुक्रम में की गई समस्त जांच, वैज्ञानिक अध्ययन, निरीक्षण रिपोर्ट, प्रयोगशाला परीक्षण, ऑडिट रिपोर्ट एवं पारित आदेशों की सत्यापित प्रतियां नेशनल पब्लिक सर्विस ट्रस्ट को उपलब्ध कराई जाएं तथा उपर्युक्त

NATIONAL PUBLIC SERVICE TRUST

04/08/26

समस्त कार्यवाहियों को निर्धारित समय–सीमा के भीतर पूर्ण कर अनुपालन रिपोर्ट भी उपलब्ध कराई जाए।

यह विषय देवभूमि उत्तराखण्ड की पर्यावरणीय विरासत, गंगा नदी की पवित्रता, नागरिकों के स्वास्थ्य तथा भावी पीढ़ियों के अधिकारों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस पत्र को अत्यन्त गंभीर जनहित का विषय मानते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता पर समयबद्ध, पारदर्शी एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

NATIONAL PUBLIC SERVICE TRUST

भवदीय,

कृष्णकान्त

(अध्यक्ष)

<u>संलग्नक :–</u>

(1) ऋषिकेश शहर के गोविन्द नगर, वार्ड सं0–17 में गंगा से लगभग 80 मीटर की दूरी पर स्थित कूड़ा डम्पिंग जोन की फोटो प्रति।

(2) हरिद्वार शहर के शिवालिक नगर स्थित चिन्मयी डिग्री कॉलेज निकट स्थित कूड़ा डम्पिंग जोन की फोटो प्रति।

(3) ज्वालापुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम–सराय/इक्कड रोड पर आवासीय क्षेत्र निकट स्थित कूड़ा डम्पिंग जोन की फोटो प्रति।

(4) कलियर स्थित आवासीय क्षेत्रों से निकलने वाले मल/मूत्र आदि गंदगी को नालों के जरिये गंगा घाटों में निस्तारित किये जाने संबंधी फोटो प्रति।

(5) कलियर गंगनहर क्षेत्र में लोगों द्वारा किये जा रहे खनन संबंधी फोटो की प्रति।

ऋषिकेश शहर के गोविन्द नगर, वार्ड सं0—17 स्थित डम्पिंग जोन

ऋषिकेश शहर के गोविन्द नगर, वार्ड सं0–17 स्थित डम्पिंग जोन

ऋषिकेश शहर के गोविन्द नगर, वार्ड सं0—17 स्थित डम्पिंग जोन

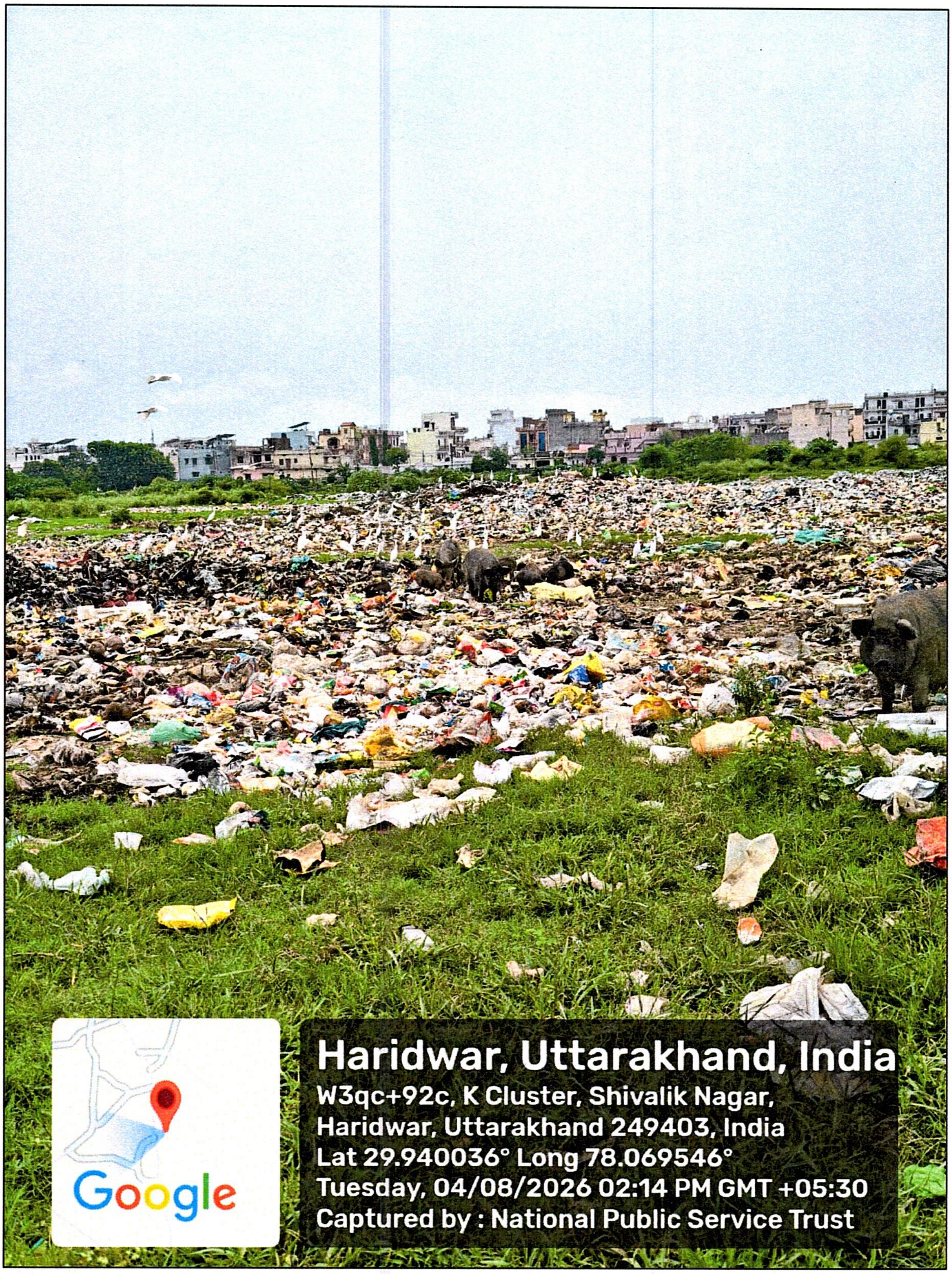

हरिद्वार शहर में शिवालिक नगर स्थित चिन्मयी डिग्री कॉलेज
के पास कूड़ा डम्पिंग जोन

हरिद्वार शहर में शिवालिक नगर स्थित चिन्मयी डिग्री कॉलेज

के पास कूडा डम्पिंग जोन

अमर उजाला
04.08.2026

किया था। इसमें एमडी ... अपनी योगदान आख्या भी संबंधित
हिमाद्री, कोमल और सवि... ारी को प्रस्तुत नहीं की। स्वास्थ्य

आवासीय क्षेत्र में कूड़ा डंपिंग का विरोध, जताया आक्रोश

सिडकुल। शिवालिक नगर स्थित चिन्मय डिग्री कॉलेज के समीप नगर पालिका की ओर से कूड़ा डंप किए जाने के विरोध में सोमवार को स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन कर नाराजगी जताई। लोगों का आरोप है कि आवासीय क्षेत्र में कूड़ा डाले जाने से दुर्गंध फैल रही है और संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस स्थान पर कूड़ा डंप किया जा रहा है, वहां से प्रतिदिन बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, राहगीर और स्थानीय लोग गुजरते हैं। सड़क किनारे पड़े कूड़े के ढेर से पूरे क्षेत्र में बदबू फैल रही है, जबकि मक्खी-मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है। लोगों का आरोप है कि सफाई कर्मचारी कूड़ा डालने के बाद समय पर उसका निस्तारण नहीं करते।

कई बार कूड़े के ढेर में आग लगा दी जाती है, जिससे उठने वाला धुआं आसपास रहने वाले लोगों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। प्रदर्शन करने वालों में अतुल वशिष्ठ, वीरेंद्र, पंकज चौहान, हरिओम चौहान, मीनाक्षी आदि शामिल रहे। संवाद

जबरन वाहन उठाने वाले रिकवरी एजेंटों पर होगी कार्रवाई

हरिद्वार। ज्वालापुर, बहादराबाद और कनखल क्षेत्र में रिकवरी एजेंटों की मनमानी की शिकायतों के बाद पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। सड़क पर वाहन रोककर जबरन कब्जे में लेने और वाहन चालकों से अभद्रता के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। सीओ संजय चौहान ने बैंक और फाइनेंस कंपनियों से जुड़े रिकवरी एजेंटों को कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश दिए हैं। कहा कि यदि कोई रिकवरी एजेंट कानून हाथ में लेकर मारपीट, धमकी या जबरन वाहन कब्जे में लेने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संवाद

हरिद्वार शहर के शिवालिक नगर स्थित चिन्मयी डिग्री कॉलेज निकट स्थित कूड़ा डम्पिंग जोन के विरूद्ध जन आक्रोश संबंधी न्यूजनोट की प्रति।

ज्वालापुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम–सराय/इक्कड रोड पर स्थित डम्पिंग जोन

ज्वालापुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम–सराय/इक्कड रोड पर स्थित डम्पिंग जोन

कलियर स्थित आवासीय क्षेत्रों से निकलने वाले मल/मूत्र आदि गंदगी को नालों के जरिये गंगा घाटों में निस्तारित किये जाने संबंधी फोटो

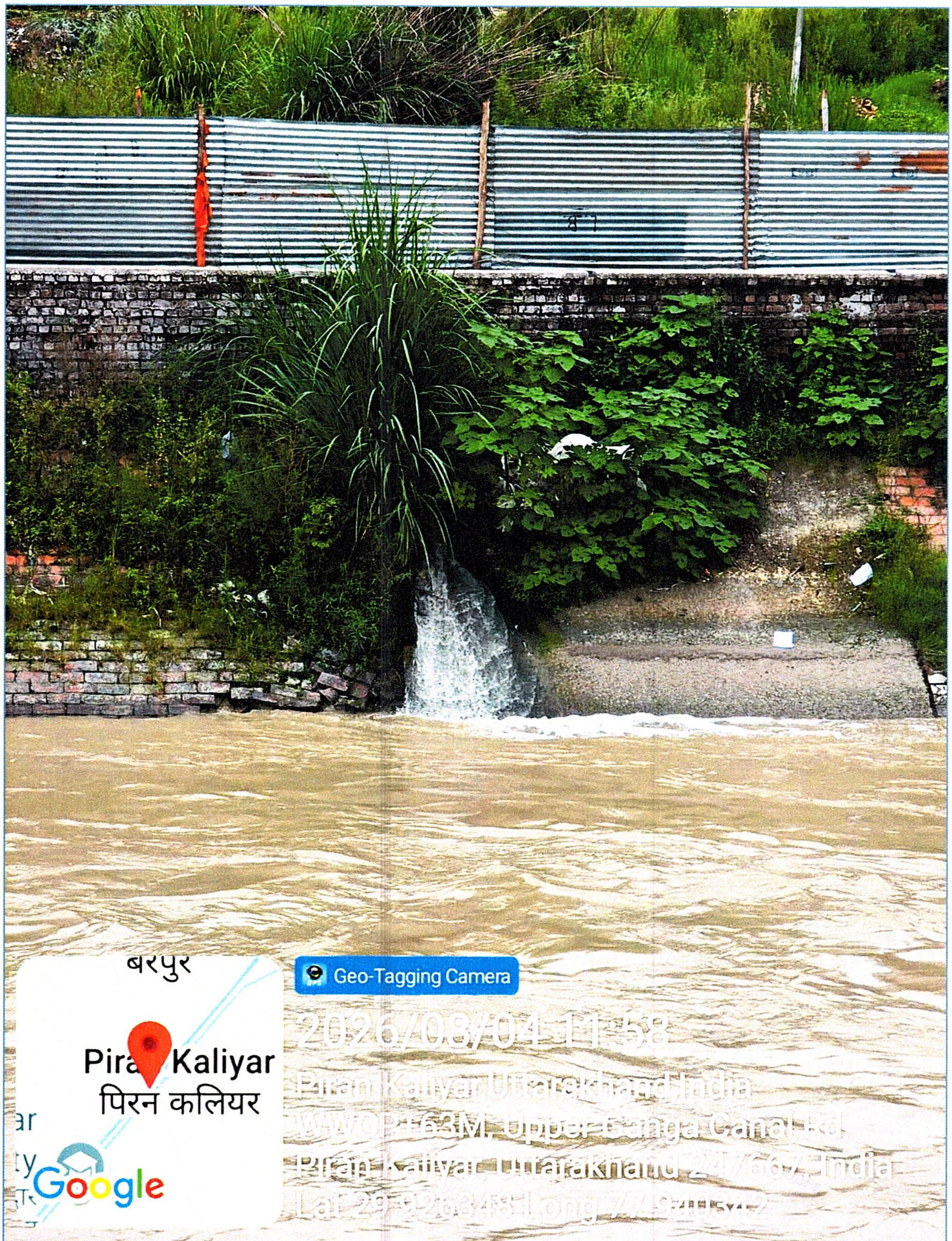

कलियर स्थित आवासीय क्षेत्रों से निकलने वाले मल/मूत्र आदि गंदगी को नालों के जरिये गंगा घाटों में निस्तारित किये जाने संबंधी फोटो

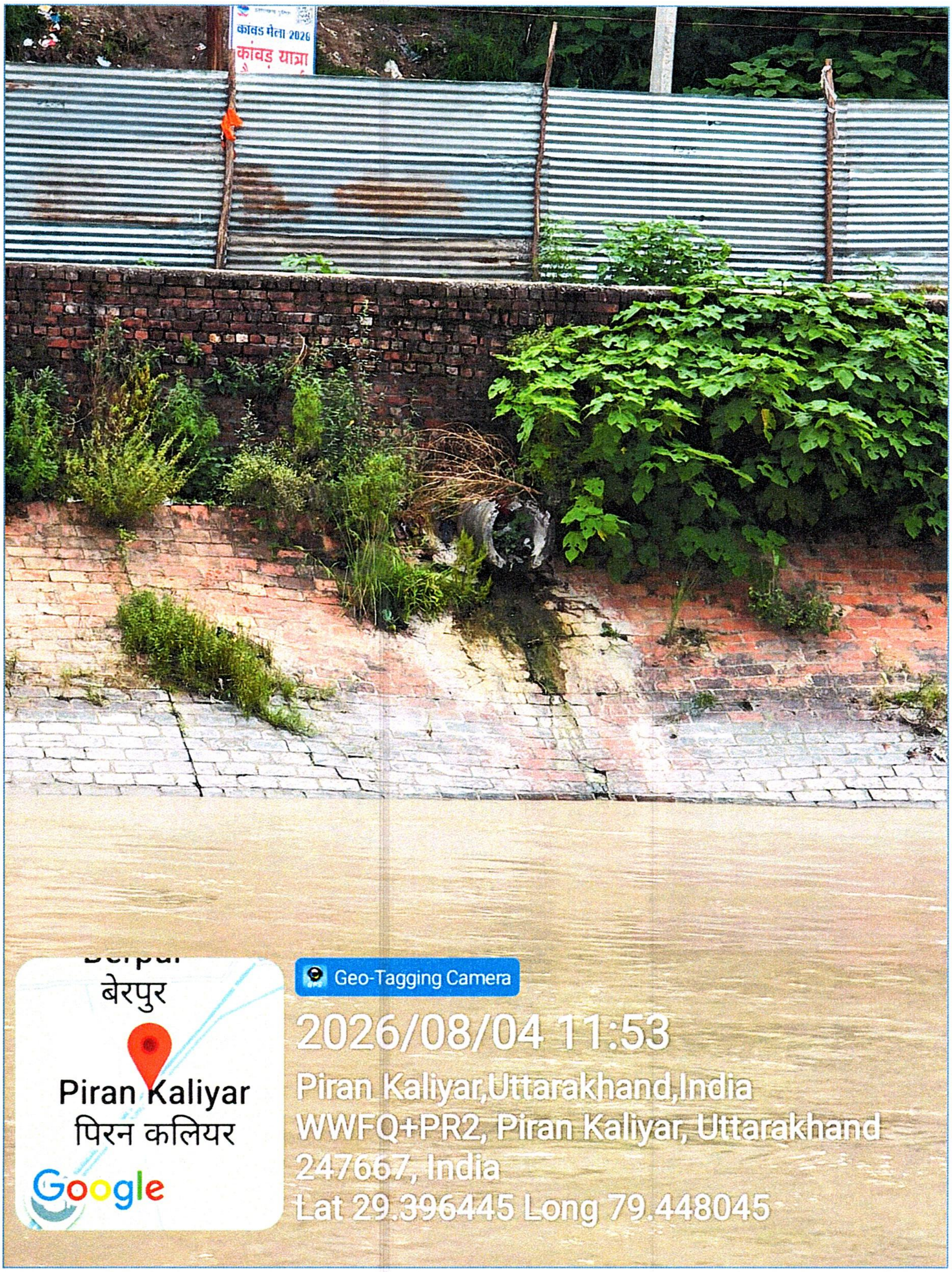

कलियर स्थित आवासीय क्षेत्रों से निकलने वाले मल/मूत्र आदि गंदगी को नालों के जरिये गंगा घाटों में निस्तारित किये जाने संबंधी फोटो

कलियर गंगनहर क्षेत्र में लोगों द्वारा किये जा रहे खनन संबंधी फोटो।

कलियर गंगनहर क्षेत्र में लोगों द्वारा किये जा रहे खनन संबंधी फोटो।